खण्ड 12 संख्या 11

बिहार विधान सभा वाद वृत्त

सरकारी प्रतिवेदन।

(भाग—2 कार्यवाही प्रश्नोत्तर रहित)।

बृहस्पतिवार, तिथि 29 मार्च, 1984।

विषय सूची।

	पृष्ठ।
शून्य-काल की चर्चायें:	1—4
(क) सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान ...	1
(ख) जमादार एवं थाना प्रभारी के विरुद्ध कारवाई	1-2
(ग) ठेकेदारों द्वारा मनमानी ...	2
(घ) शिक्षक द्वारा धोखाधड़ी ...	2
(ङ) दोषी पदाधिकारियों को सजा देना ...	3
(च) औरंगाबाद जिलान्तर्गत जनआक्रोश की संभावना ...	3
(छ) अपराध नियंत्रण की स्थिति में गिरावट ...	3-4
ध्यानाकर्षण-सूचना पर सरकारी वक्तव्य: ...	4—6
डाक्टर के विरुद्ध आरोप ...	4—6
अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण एवं उस-पर सरकारी वक्तव्य:	6
अवर सेवा चयन परिषद् में अनियमितता ..	6
अत्यावश्यक लोक महत्व के विषय पर ध्यानाकर्षण ...	7-8
पटवन टैक्स की वसूली को बन्द करना ...	8-9

याचिका समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री राजमंगल मिश्र—अध्यक्ष महोदय, मैं, सभापति, याचिका समिति, याचिका समिति का 197 वां एवं प्रतिवेदन बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 211 के अन्तर्गत सदन में उपस्थापित करता हूँ।

[उपस्थापित किया गया]

विधायी कार्य : सरकारी विधेयक

बिहार विधान-परिषद् में उद्भूत तथा उसके द्वारा यथापारित संथालपरगना विधि (संशोधन) विधेयक, 1984।

श्री लहटन चौधरी—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"बिहार विधान-परिषद् में उद्भूत तथा उसके द्वारा यथापारित संथालपरगना विधि (संशोधन), विधेयक, 1984" पर विचार हो।

श्री लहटन चौधरी—मैं माननीय सदस्यों को इतना ही कहना चाहता हूं कि संथालपरगना प्रमंडल पहले भागलपुर प्रमंडल में था। इसलिये इसको अब भागलपुर की जगह संथालपरगना प्रमंडल नाम रखना है। इसमें चार जिला जो बना है उसका भी नाम जोड़ना है। इतना ही भर संशोधन इसमें है।

श्री रामाश्रय सिंह—अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष—इसमें सिर्फ नाम जोड़ना है, इतना भर संशोधन है, इसलिये आप स्वीकृति के प्रस्ताव पर बोलियेगा।

श्री रामाश्रय सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"बिहार विधान-परिषद् द्वारा "यथापारित संथालपरगना विधि "(संशोधन) विधेयक, 1984 एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने की तिथि से एक महीना के अन्दर दे।"

अध्यक्ष महोदय, इन्होंने जो संशोधन पेश किया है उसके पीछे जो इन्होंने उद्देश्य और हेतु लिखा है उसमें इस बात का जिक्र है कि इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु संथालपरगना अधि-

नियम, 1955 का 49वां प्रावधान में सुसंगत संशोधन वे करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो अपन प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव दिया है उसका कारण है कि ये जिला शामिल करेंगे और संथालपरगना को प्रमंडल बनायेंगे लेकिन दरअसल में इन्होंने इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया है। सुसंगत संशोधन क्या करना चाहते हैं? मेरा कहना है कि वैसा न कर संथालपरगना टेनेंटेसी ऐक्ट को धारा 21, 22 और 23 की जरूरत नहीं है। सेक्शन 20 में जो आपने रिस्ट्रीक्शन ट्रांसफर का लगाया है वह इन तीन धाराओं से खत्म हो जाता है।

श्री लहटन चौधरी—अध्यक्ष महोदय, मैंने तो पहले कहा कि यह फौरमल बिल है चूंकि चार नये जिले वहां बने और प्रमंडल का नाम बदल गया है इसलिये नाम बदलने के लिये ऐसा किया है। इसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होगी। माननीय सदस्य क्या-क्या बातें कर रहे हैं समझ में नहीं आती है।

अध्यक्ष—इसको तो आप समझते ही हैं कि नयो कमिश्नरी और चार जिले बने हैं। इसलिये ऐसा संशोधन कर रहे हैं।

श्री रामाश्रय सिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं वापस नहीं लूंगा।

अध्यक्ष— प्रश्न यह है कि:

"बिहार विधान-परिषद् में उद्भूत तथा उसके द्वारा यथापारित संथालपरगना विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 एक प्रवर समिति को इस निदेश के साथ सौंपा जाय कि वह अपना प्रतिवेदन सौंपने के तिथि से 1 महीना के अन्दर दे।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

प्रश्न यह है कि:

"बिहार विधान-परिषद् में उद्भूत तथा उसके द्वारा यथापारित संथालपरगना विधि (संशोधन), विधेयक, 1984 पर विचार हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री धुव भगत—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"विधेयक के खंड 2 के अन्तिम पंक्ति में शब्द "जिले हैं" के बाद शब्द "तथा नव सृजित राजमहल अनुमंडल भी है" जोड़े जांय।"

अध्यक्ष—आपका संशोधन रिडंडेंट है।

श्री शैलेन्द्र प्रसाद श्रीवास्तव—अध्यक्ष महोदय, जब रिडेंडेंट है तो आया कैसे ?

अध्यक्ष—यह इसलिये होता है कि माननीय सदस्य संतुष्ट हो जांय, लेकिन इसका निष्पादन तो अध्यक्ष सदन में ही न करेंगे ।

प्रश्न यह है कि:

"खंड 2 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

खंड 3 का संशोधन भी आउट ऑफ ऑर्डर है ।

प्रश्न यह है कि:

"खंड 3 इस विधेयक का विधेयक बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड 3 इस विधेयक का अंग बना ।

प्रश्न यह है कि:

"खंड 1 इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड-1 इस विधेयक का अंग बना ।

प्रश्न यह है कि:

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी ।

प्रश्न यह है कि:

"नाम इस विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

नाम इस विधेयक का अंग बना ।

श्री लहटन चौधरी—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"बिहार विधान-परिषद् में उद्भूत् तथा उसके द्वारा यथापारित संथालपरगना विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 स्वीकृत हो ।"

श्री धुव भगत—अध्यक्ष महोदय, संथालपरगना का विभाजन हुआ। उसके कई कारण हैं। वहां के लोगों को सुविधा देने के लिये विभाजन किया गया। पहले संथालपरगना एक था तो राजमहल, आजादी के पहले से ही अनुमंडल था लेकिन अंग्रेजों ने कहा कि वहां बहुत मलेरिया होता है इसलिये साहेबगंज को अनुमंडल बनाया जाय। अब साहेबगंज जिला हुआ तो राजमहल भी अनुमंडल है, आजादी मिल गयी लेकिन राजमहल का दर्जा अभी तक नहीं बदला। 1962 में सरकार द्वारा संशोधन हुआ उसके बाद मैंने प्रश्न भी किया था पिछले सत्र में जिसका खंड एक और दो का उत्तर सरकार ने स्वीकारात्मक दिया था और कहा था कि राजमहल में दो-दो मुंसिफ कार्यालय चल रहे हैं, राजमहल में अनुमंडल स्तर का कार्यालय चल रहा है। सरकार ने यह भी कहा था कि अनुमंडल कार्यालय साहेबगंज में चल रहा है इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता है।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि अगर कोई कह दे कि धूव भगत अस्वस्थ हो गया है, उसे मांस-भात मिलना चाहिए, खाना चाहिए, यह तो ठीक है। अगर कोई कह दे कि तुम्हारे हिस्से का मांस-भात मंत्री जी खा रहे हैं तब अध्यक्ष महोदय, यह क्या बात होगी ? अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य विभाग के लिये वहां के लोगों को 200 कि० मी० दूर जाना पड़ता है और जिला बना लेकिन जिला को कोई सुविधा नहीं है। इसलिये साहेबगंज को पूरे जिला का सुविधा दें और राजमहल को आज सब-डिविजन घोषित करें मंत्री जी।

श्री अब्दुल हाकिम—अध्यक्ष महोदय, अभी संथालपरगना विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 जो विधान परिषद् द्वारा यथापारित है पर स्वीकृति का प्रस्ताव पेश है। इसपर जो संशोधन लाया गया है उसकी आवश्यकता को हम महसूस कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, संथालपरगना टिनेन्सी ऐक्ट जब बनाया गया उस वक्त में उसकी आवश्यकता थी इसलिये बनाया गया। संथालपरगना टिनेन्सी ऐक्ट इसीलिये बनाया गया कि आदिवासियों की जमीन को संरक्षण देने के लिये ताकि आदिवासियों की जमीन दूसरे के हाथ में नहीं चली जाय। इसी उद्देश्य से बनाया गया था। सेक्शन 20, 21, 22 में रिस्ट्रीक्शन था इसीलिये मेरा सुझाव है, उसको सरकार मान ले।

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

"बिहार विधान परिषद् में उद्भूत तथा उसके द्वारा यथापारित संथालपरगना विधि (संशोधन) विधेयक, 1984 "स्वीकृत हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

बिहार वन उपज (व्यापार विनियमन) विधेयक, 1983 (विधान-सभा में उद्भूत एवं प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित) में बहुत क्लीज हैं, इसलिये इसको 2 बजे अप० में लेंगे।

सरकारी विधेयक :

बिहार विधान-सभा में उद्भूत तथा प्रवर समिति द्वारा यथाप्रतिवेदित दंड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक, 1983।

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह—मैं प्रस्ताव करता हूं कि:

"बिहार विधान-सभा में उद्भूत तथा प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित "दंड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक, 1983" पर विचार हो।"

अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि:

"बिहार विधान-सभा में उद्भूत तथा "प्रवर समिति द्वारा यथा प्रतिवेदित" दंड प्रक्रिया संहिता (बिहार संशोधन) विधेयक, 1983" पर विचार हो।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रश्न यह है कि:

"खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड-2 इस विधेयक का अंग बना।

प्रश्न यह है कि:

"खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड-1 इस विधेयक का अंग बना।

प्रश्न यह है कि:

"प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

प्रस्तावना इस विधेयक का अंग बनी।